

जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 54, दिनांक 19.10.2021

आज दिनांक 19.10.2021 को थाना डकोर पुलिस टीम द्वारा ग्राम टिमरों जैसारी कला मोड़ के पास की गयी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तगण को लूट के माल, अवैध असलाहा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण -

1. प्रदीप उर्फ नन्ना पुत्र सुरेन्द्र पाल राजपूत नि0 ग्राम ऐर थाना डकोर जनपद जालौन
2. सतेन्द्र उर्फ सत्तू पुत्र रमेश चन्द्र राजपूत नि0 ग्राम बम्हौरी थाना आटा जनपद जालौन

प्रकाश में आए वांछित अभि0गण -

1. नरेन्द्र उर्फ नन्दू उर्फ बाबा पुत्र स्व0 अशोक राजपूत निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा
2. प्रदीप राजपूत पुत्र उदय भान राजपूत निवासी बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा (120बी भादवि में)
3. ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र मंगल सिंह राजपूत निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण -

1. घटना में प्रयुक्त मो0सा0 रजि0 नं0 UP 92R 3724
2. घटना में लूटा गया मोबाइल फोन की पैड Celcor R-50
3. 11800/- रू0
4. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद कारतूस 315 बोर

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.08.2021 को रात्रि करीब 21.15 बजे वादी श्री महिपाल सिंह पुत्रवीरसिंह राजपूत निवासी गोरन थाना डकोर जनपद जालौन के साथ हुई लूट की घटना पर वादी महिपाल सिंह उपरोक्त की तहरीर पर थाना डकोर पर मु0अ0सं0 171/2021 धारा 392/504 भादवि बनाम मोटर साइकिल सवार तीन लडके नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभि0 की गिरफ्तारी व लूटे गए माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर उरई के नेतृत्व में थाना कोतवाली डकोर टीम को लगाया गया था। थाना पनवाडी जनपद महोबा पुलिस टीम के सहयोग से घटना में लूटी गयी मो0सा0 नं0 UP 92 R 2448 को बरामद किया गया। जिसका सफल अनावरण करते हुए घटना में कुल 05 नफर अभियुक्तगण प्रकाश आए जिनमें से 02 नफर अभि0गणों को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर घटना में प्रयोग की गयी मोटर साइकिल व उनके कब्जे से लूटे गए माल की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय -

थाना कोतवाली डकोर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, चोर, वांछित अपराधी एवं सुरागरसी पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.10.2021 को वेतवा नदी पुल सीमा हमीरपुर बहद ग्राम मुहाना से समय करीब 08.35 बजे अभि0 प्रदीप उर्फ नन्ना व सतेन्द्र उर्फ सत्तू उपरोक्त को 02 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 04 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से 11800/- रू0, 01 अदद की पैड मोबाइल फोन व घटना प्रयोग की गयी मो0सा0 बरामद की गयी ।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभि०गणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.08.2021 को समय करीब रात्रि 21.15 बजे ग्राम टिमरों जैसारी कला मोड के पास से मैंने व ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र मंगल सिंह राजपूत निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा व नरेन्द्र उर्फ नन्दू पुत्र स्व० अशोक राजपूत नि० ग्रा० जरौली थाना खरेला जनपद महोबा व सतेन्द्र उर्फ सत्तू पुत्र रमेश चन्द्र राजपूत नि० ग्रा० बम्हौरी थाना आटा जनपद जालौन ने प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान राजपूत नि० ग्रा० बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा की योजना के अनुसार गुजरात जाने की तैयारी कैन्सिल कर चारो लोग इसी मो०सा० से आये थे जिसमें सतेन्द्र उर्फ सत्तू को सिंगल मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति के आने की सूचना देने के लिए कुछ दूरी पहले उतार दिया था सतेन्द्र की सूचना पर कि एक व्यक्ति अकेले मो०सा० पर उरई की ओर से धीमी गति से आ रहा है हम तीनों लोग ज्ञानी उर्फ ज्ञान सिंह, नरेन्द्र उर्फ नन्दू और मैं ग्राम टिमरों के आगे जैसारी मोड के पास आ रही मो०सा० को पीछे से आकर रोका व जैसारी कला जाने का रास्ता पूछा जैसे ही वह व्यक्ति रूका तो तुरन्त गाली देते हुए गला पकड कर मो०सा० से उतारकर धक्का देकर गिरा दिया और मो०सा० छीन ली और उसका मोबाइल फोन, अंगूठी व गले की माला भी छीन लिया था लूटी गयी मो०सा० UP 92 R 2844 को ज्ञानी और नन्दू लेकर चले गये थे जिसकी नम्बर प्लेट तोडकर नष्ट कर दी थी मै अपनी मो०सा० से अकेले गया था कुछ दूरी पर सतेन्द्र को वैठाकर मो०सा० से उरई पहुंचे जहां प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान राजपूत मिला ज्ञानी नन्दू भी आ गये थे वहां से हम सभी पांचो लोग प्रदीप राजपूत के घर ग्राम वल्लाय पहुंचे तो ग्राम वल्लाय में लूटी गयी मो०सा० की डिग्गी को खोलकर देखा तो उसमें 145000 (एक लाख पैतालीस हजार) रूपये रखे मिले थे लूटे गये रूपयों को हम सभी ने आपस में बाट लिया था। नरेन्द्र ने अगूठी व माला अपने पास रख लिया था। जो रूपया हम दोनो के पास व मोबाइल मिला है वह लूट की घटना से हिस्से में मिले पैसे व वही मोबाइल है बाकी रूपये हमने खर्च दिए है आज हम लोग महोबा जाने फिराक में थे कि डकोर पुलिस द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ।

1. अपराधिक इतिहास अभि० प्रदीप उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 171/2021 धारा 392/504/411 भादवि थाना डकोर, जालौन
2. मु०अ०सं० 191/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डकोर, जालौन

2. अपराधिक इतिहास अभि० सतेन्द्र उर्फ सत्तू उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 171/2021 धारा 392/504/411 भादवि थाना डकोर, जालौन
2. मु०अ०सं० 192/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डकोर, जालौन

अभि०गणों के विषय में अन्य जनपदों व अन्य राज्यों से अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र०नि० श्री अशोक कुमार वर्मा थाना डकोर
2. व०उ०नि० श्री शशि भूषण थाना डकोर
3. उ०नि० श्री बारे लाल आजाद थाना डकोर
4. का० 1614 गीतम सिंह थाना डकोर
5. का० 2007 राकेश कुमार थाना डकोर
6. मु०आ० चालक शिव विजय सिंह थाना डकोर

अन्य सहयोगी पुलिस टीम

1. नि० जितेन्द्र सिंह
2. उ०नि० श्री के० वी० सिंह (प्र० सर्वि० सेल)
3. उ०नि० श्री आरिफ खान (थाना नदीगांव)
4. उ०नि० श्री योगेश पाठक (पु०ला० उरई)
5. उ०नि० श्री रवि मिश्रा
6. हे०का० 167 मनोज कुमार (सर्वि० सेल)